न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
14/2020	2020/00033	11.08.2020	24.02.2021

श्री कन्हैयालाल पिता नन्दा मीणा निवासी हुरियारूण्डी तहसील अरनोद

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ : – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत्

उपस्थिति :–

1. श्री गोपाल कुमावत एवं राकेश कुमावत अधिवक्ता
पैरोकार सरकार (रसद)

–: आदेश :– दिनांक :– 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक :–रसद/अभियोजन/2020–21/998–1003 दिनांक 29.06.2020 जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा मिथ्या एवं भाम्रक शिकायतकर्ता ग्रामवासी उकाला श्री गलजी एवं सोहनलाल तथा रामलाल जैसे व्यक्तियों के नाम से माननीय विधायक महोदय के समक्ष दिनांक 07.02.2019 को प्रस्तुत शिकायत आधार पर रसद विभाग के कार्मिकों द्वारा आनन फानन में अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानदार नागदी (FPS Code 15416) तहसील अरनोद का दिनांक 08.02.2019 को जांच एवं मौका निरीक्षण करते हुए दुकान को बंद बताते हुए मिथ्या एवं भाम्रक शिकायतकर्ताओं के बयान लेखबद्ध करते हुए अपीलार्थी को निराधार राशन वितरण में अनियमिता का दोषी बताया जाकर बिना किसी पूर्ववत् सूचना सूनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलार्थी को जरिये आदेश क्रमांक :– 4305 दिनांक 11.02.2019 को निलंबित कर दिया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक दबाव एवं मिथ्या शिकायत आधार पर जरिये प्रकरण संख्या 228/2019 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकारी पत्र मय धरोहर प्रतिभूति राशि जब्ती के साथ निरस्त कर दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी विवादित आदेश दिनांक 29.06.2020 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कि जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत रसद विभाग से निर्णित पत्रावली संख्या 244/2019 के साथ उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता पूर्वक की गई कार्यवाही है प्रस्तुत शिकायत में वर्णित शिकायतकर्ता रामलाल के हस्ताक्षर भी सही नहीं है तथा रसद विभाग के जांचकर्ता अधिकारी द्वारा लिये गये बयानात भी शिकायतकर्ताओं के विपरित होकर अन्य अनभिज्ञ व्यक्तियों के हैं तथा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही अन्तर्गत अपीलार्थी को सूनवाई जवाब के कोई अवसर भी प्रदान नहीं किये गए अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में दोराने बहस पैरोकार सरकार (रसद) द्वारा अपील में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि वक्त निरीक्षण दिनांक 08.02.2019 को प्रस्तुत शिकायत अनुसार उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई तथा उपस्थित गौतबिरान बयानात अनुसार अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार समय पर दुकान नहीं खोलता है तथा राशन वितरण कार्य समय पर नहीं करता है। जिसके आधार पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत प्रमाणित पाए जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना उचित रहा है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 24.07.2020, निलंबन आदेश दिनांक 11.02.2019 एवं आदेश प्रकरण संख्या 244/2019 निर्णय दिनांक 29.06.2020 तथा प्रकरण में संलग्न शिकायत एवं मौका पर्चा कार्यवाही दिनांक 08.02.2019 का भी अध्ययन अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रस्तुत अपील में वर्णित समस्त कथन उचित प्रतीत होते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी युक्ति–युक्त सूचना तामील एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेल्ना करते हुए मात्र शिकायत आधार पर आनन फानन में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच कार्यवाही दिनांक 08.02.2019 के उपरान्त जारी निलंबन आदेश दिनांक 11.02.2019 के लगभग 15–16 माह बाद अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही किया जाना न्याय एवं नियम के विरूद्ध रहा है क्योंकि कि किसी भी साधारण प्रक्रम में किसी भी निलंबन कार्यवाही के 3 से 6 माह की अधिकतम अवधी में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अपेक्षित है जो प्रश्नगत प्रकरण में नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी के न्यायिक अधिकारों तथा उक्त उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय पूर्ण रहा है।

साथ ही अपीलार्थी (उचित मूल्य दुकानदार नागदी (FPS Code 15416) तहसील अरनोद) के विरूद्ध कोई ठोस अनियमितता या जांच कार्यवाही दर्शित रिकार्ड नहीं पाई गई है जिससे

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के विरूद्ध शिथिलन का रूख अपनाते हुए उसे न्यायहित में एक अवसर प्रदान कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी न्यायहित में स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 228/2019 में जारी आदेश दिनांक 11.02.2019 एवं 29.06.2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार नागदी (FPS Code 15416) तहसील अरनोद का प्राधिकार पत्र (FPS 15416) मय जब्त धरोहर प्रतिभूति राशि सहित बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner